न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी :श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

वाद सं. : 33 / 2020

1. अर्जुनलाल पुत्र भैरू
2. बिरदू पुत्र भैरू
3. रामचन्द्र पुत्र भैरू

   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण रावतो की ढाणी, ग्राम लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. फैफू पुत्र रामसहाय
2. बालासहाय पुत्र रामसहाय
3. शिवप्रसाद पुत्र रामसहाय

   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण रावतो की ढाणी, ग्राम लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. श्रीमति धापा देवी पत्नि स्व. कालूराम उम्र वयस्क
5. रोहिताश पुत्र स्व. कालूराम
6. विक्रम पुत्र स्व. कालूराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति धापा देवी पत्नि स्व. कालूराम
7. सीमा पुत्री स्व. कालूराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति धापा देवी पत्नि स्व. कालूराम

   समस्त जातियान गुर्जर निवासीगण रावतो की ढाणी, ग्राम लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. तहसीलदार महोदय, तहसील आमेर जिला जयपुर
9. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:44:11 IST
Reason: SelfAttested

—प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— अधिवक्ता वादी श्री ओ. पी. शर्मा

उपस्थितिः— अधिवक्ता प्रतिवादी श्री गंगाराम शर्मा

निर्णय **दिनांक 08.01.2021**

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वणित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित विवादित भूमि आ.ख.नं. 695, 696, 711 लगायत 718, 720, 731, 732 कुल किता 13 कुल रकबा 4.5100 है., एवं खसरा नं. 720/1247 रकबा 0.1600 है. तथा खसरा नंबर 1191, 1192, 1193/1322 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1300 है. के उभयपक्षकारान 1/2—1/2 हिस्से के सहखातेदार काश्तकार है तथा **अपने—अपने हिस्से** अनुसार उक्त अविभाजित भूमि पर बहैसियत काश्तकार काबिज होकर उपयोग—उपभोग करते आ रहें है। उक्त सम्पूर्ण भूमि अविभाजित भूमि है। अप्रार्थीगण उक्त सम्पूर्ण अविभाजित भूमि में निहित प्रार्थीगण के हिस्से में निहित प्रार्थीगण के हिस्से में अनावश्यक हस्तक्षेप पर आमादा है तथा भूमि को अन्य को बेचान करने पर आमादा हे। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थीगण वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी को दीगर व्यक्ति को बेचान, हस्तांतरित कर देंगे, जिससे प्रार्थीगण अपने स्वामित्व व हक की सम्पति से हमेशा के लिए वंचित हो जावेंगे, एवं प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ती सम्भव नही हो सकेगी। जिससे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण उपरोक्त वादग्रस्त अविभाजित कृषि भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करें, प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त एवं उपयोग—उपभोग में मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे, आराजी के विशिष्ठ भाग व अंश को अपना बताकर किसी दीगर शख्स को विक्रय ना करें, ना ही कोई दस्तावेज तहरीर व तकमील करें, ना ही उपरोक्त आराजी पर कोई खुदाई करें, ना ही प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जेकाश्त व उपयोग—उपभोग करने में किसी तरह की मजाहमत पैदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस कदर की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि अप्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करें, प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त एवं उपयोग—उपभोग में मजाहमत मदाखलत पैदा नही करें, आराजी के विशिष्ठ भाग व अंश को अपना बताकर किसी दीगर शख्स को विक्रय ना करें, ना ही कोई दस्तावेज तहरीर व तकमील करें, उपरोक्त आराजी के शांतिपूर्वक कब्जेकाश्त व उपयोग—उपभोग करने में किसी तरह की मजाहमत पैदा करें, तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:44:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत नही करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने सीधे बहस करते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि **वर्णित भूमि के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 अपने–अपने हिस्से** अनुसार उक्त अविभाजित भूमि पर बहैसियत काश्तकार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहें है तथा भूमि के सहखातेदार है तथा अभिलिखित खातेदार/सहखातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि अप्रार्थीगण भूमि पर कोई निर्माण करने पर आमादा है तथा भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। अपितु ना तो अप्रार्थीगण द्वारा कोई निर्माण किया जा रहा है, ना ही भूमि को विक्रय संबंधि कोई विचार है, परन्तु चूंकि मूल प्रकरण विभाजन से संबंधित है तथा विवादित भूमि का विभाजन नही हुआ है। जिसके बाबत मात्र अप्रार्थीगण को ही पाबन्द नही किया जा सकता है।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलौकन किया गया। मूल प्रकरण विभाजन से संबधित है। जिसके अनुसार उभयपक्षकारान विवादित भूमि के 1/2–1/2 हिस्से के सहखातेदारान काश्तकार है। विवादित भूमि के संदर्भ में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मूल हित विवादित भूमि के विक्रय एवं स्थाई निर्माण मात्र से प्रेरित है। जिसके संदर्भ में दौराने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्तागण ने अपने तथ्य व तर्क प्रस्तुत किए है। जिस पर न्यायालय द्वारा गौरपूर्वक मनन किया। अतः चूंकि मूलप्रकरण विभाजन से संबंधित है तथा भूमि में पक्षकारान का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में मात्र एक पक्ष को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही समझते है। अतः मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 695, 696, 711 लगायत 718, 720, 731, 732 कुल किता 13 कुल रकबा 4.5100 है. एवं आराजी खसरा नंबर 720/1247 रकबा 0.1600 है. तथा अन्य विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 1191, 1192, 1193/1322 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1300 है. भूमि के किसी भाग का विक्रय ना करें तथा विवादित भूमि में कोई स्थाई निर्माण ना करें।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.01.28 14:44:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर